



वयोवृद्ध देखरेख गुणवत्ता और सुरक्षा के लिए रॉयल कमीशन (The Royal Commission into Aged Care Quality and Safety)

The Royal Commission into Aged Care Quality and Safety की स्थापना वयोवृद्ध देखरेख सेवाओं की गुणवत्ता पर ध्यान देने और यह पता लगाने के लिए की गई है कि क्या वे सेवाएँ ऑस्ट्रेलियाई समुदाय की जरूरतों को पूरा कर रही हैं या नहीं। इनमें शामिल हैं:

- घर में रहने वाले वृद्ध लोगों के लिए देखरेख
- डिमेंशिया से ग्रस्त जीवन जीने वाले लोग, और
- विकलांगताओं से ग्रस्त युवाओं सहित आवासीय वयोवृद्ध देखरेख केन्द्र में रहने वाले लोग।

कमीशन शहरों, तथा साथ ही क्षेत्रीय और दूरवर्ती क्षेत्रों में प्रदान की जाने वाली देखरेख का निरीक्षण करेगा। यह इस बात पर ध्यान देगा कि वयोवृद्ध देखरेख सेवाओं में किस प्रकार भविष्य में सुधार किया जा सकता है।

यदि किसी वयोवृद्ध देखरेख सेवा के साथ आपकी कोई ऐसी समस्या है जिसपर तुरंत कार्यवाही की जानी चाहिए

रॉयल कमीशन व्यक्तिगत विवादों या शिकायतों का समाधान नहीं कर सकता है। यह किसी देखरेख प्रदाता या व्यक्ति को कोई खास कार्यवाही करने या मुआवजा देने का आदेश नहीं दे सकता है। परन्तु, वयोवृद्ध देखरेख गुणवत्ता और सुरक्षा कमीशन (Aged Care Quality and Safety Commission) ऐसी परिस्थिति में सहायता करने में सक्षम हो सकता है क्योंकि यह उन वयोवृद्ध देखरेख सेवाओं के लिए शिकायत संस्था है जिन्हें ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा ब्लूट-प्राप्त है।

यदि आप किसी व्यक्ति को वर्तमान में प्रदान की जाने वाली वयोवृद्ध देखरेख सेवा की गुणवत्ता के बारे में शिकायत करना चाहते/चाहती हैं, तो आप Aged Care Quality and Safety Commission को 1800 951 822 पर फोन कर सकते/सकती हैं या agedcarequality.gov.au देखें। दुभाषिया सेवाएँ उपलब्ध हैं।